रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72 REGISTERED No. D. (D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 367] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 31, 1978/श्रावण 9, 1900
No. 367] NEW DELHI, MONDAY, JULY 31, 1978/SRAVANA 9, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

गृह मंत्रालय

भारत के राष्ट्रपति द्वारा 29 जुलाई, 1978 को की गई निम्नलिखित अधिसूचना सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है :—

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 1978

का. आ. 479(अ).—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 371 च के खंड (ढ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पुलिस अधिनियम 1861 (1861 का 5) का विस्तार सिक्किम राज्य पर तत्काल प्रभावी रूप से इस उपान्तरण के अधीन करते हैं कि उक्त अधिनियमिति में, सिक्किम राज्य में ऐसी विधि जो प्रवृत्त नहीं है, या ऐसा कृत्यकारी जो विद्यमान नहीं है, के प्रति निर्देश का अर्थान्वयन उस राज्य की

तत्समान प्रवृत्त विधि, अथवा तत्समान विद्यमान कृत्यकारी के प्रति निदेश के रूप में किया जाएगा ,

परन्तु यह कि यदि ऐसा कोई प्रश्न उठे कि वह तत्समान कृत्यकारी कौन है, या ऐसा कृत्यकारी जो विद्यमान नहीं है, के प्रति निर्देश का अर्थान्वयन उस राज्य की ऐसा कृत्यकारी कौन होगा, और केन्द्रीय सरकार का निर्णय अन्तिम होगा ।

नीलम संजीव रेड्डी, राष्ट्रपति

[फा. सं. 11013/6/78-सिक्किम]

एम. एल. कम्पानी, अपर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

The following notification made by the President of India on the 29th July, 1978 is published for general information—

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th July, 1978

S.O. 479(E).—In exercise of the powers conferred by clause (n) of article 371F of the Constitution, the President hereby extends to the State of Sikkim, with immediate effect, the Police Act, 1861, (5 of 1861), subject to the modification that any reference in the said Act to a law not in force, or to a functionary not in existence, in the State of Sikkim shall be construed as a reference to the corresponding law in force, or to the corresponding functionary in existence, in that State :

Provided that if any question arises as to who such corresponding functionary is, or if there is no such corresponding functionary, the Central Government shall decide as to who such functionary will be and the decision of the Central Government shall be final.

NEELAM SANJIVA REDDY, President

[F. 11013/6/78-SKM]

M. L. KAMPANI, Addl. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1978